भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1602

दिनांक 13 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

बिजली कटौती की बढ़ती समस्या

1602. श्री रमाशंकर राजभर:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में बिजली कटौती की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए कोई विशिष्ट कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पारेषण और वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए कोई नई योजना कार्यान्वित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मरों की कमी और उनमें बार-बार होने वाली खराबी से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या प्रत्येक गांव और घर को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा विद्युत विभाग में रिक्त पदों को भरने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) बिजली की दरों में वृद्धि और बिजली बिल संबंधी समस्याओं पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ज) क्या उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : विद्युत एक समवर्ती विषय है, इसलिए उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में है। भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं तक विद्युत आपूर्ति की पहुँच और गुणवत्ता में सुधार के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर रही है। ये स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं। इन स्कीमों

के तहत, विद्युत वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को क्रियान्वित किया गया।

भारत सरकार ने जुलाई, 2021 में देश में वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालन रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। इस स्कीम का उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को 12-15% तक कम करना और आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व प्राप्ति (एसीएस-एआरआर) अंतर को शून्य करना है।

इस स्कीम के तहत, वितरण अवसंरचना के उन्नयन और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए पात्र वितरण यूटिलिटी को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। देश भर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत वितरण नेटवर्क में सुधार और अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत विभिन्न कार्य इस प्रकार हैं:

क. नये वितरण ट्रांसफार्मरों एवं उप-स्टेशनों की संस्थापना/मौजूदा वितरण ट्रांसफार्मरों का उन्नयन
ख. फीडर द्विभाजन और पृथक्करण कार्य
ग. पुराने अनावृत्त कंडक्टरों को लो टेंशन एरियल बंच्ड (एलटी एबी) केबलों से बदलना
घ. उच्च तनाव (एचटी) और निम्न तनाव (एलटी) लाइनों आदि की पुनर्संचालन।
ङ. वितरण प्रणालियों को अधिक स्मार्ट बनाने के लिए पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण (एससीएडीए), डाटा प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस), आईटी/ओटी, उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी), जीआईएस सक्षम अनुप्रयोग, उन्नत वितरण प्रबंधन प्रणाली (एडीएमएस) आदि सहित आधुनिकीकरण कार्य।

वितरण अवसंरचना के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये तथा स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** पर संलग्न हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की स्कीम के तहत सौभाग्य अवधि के दौरान छूटे सभी घरों के विद्युतीकरण का समर्थन कर रही है। गैर-विद्युतीकृत घरों को चिह्नित करने के लिए वितरण यूटिलिटी द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। जहां भी संभव पाया गया, आरडीएसएस के तहत ग्रिड आधारित विद्युतीकरण कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। आज तक, 9,97,680 घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए 4,538 करोड़ रुपये की राशि के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। इसमें सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) के तहत चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत चिह्नित सार्वजनिक स्थानों का ग्रिड विद्युतीकरण शामिल है। राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** पर संलग्न हैं।

(ङ) : रिक्त पदों को भरने सहित राज्य विद्युत विभागों का प्रशासन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है।

(च) : आरडीएसएस के अंतर्गत अब तक राज्य सरकार की वितरण कंपनियों के 10,850 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है **(अनुबंध-IV)**।

(छ) : उपभोक्ता, वितरण ट्रांसफॉर्मर और फीडर स्तर पर संचार सुविधाओं और उन्नत मीटरिंग अवसंरचना (एएमआई) के साथ स्मार्ट मीटरिंग वितरण यूटिलिटी को बिलिंग और संग्रह दक्षता में सुधार, स्वचालित ऊर्जा माप, लेखांकन, लेखा परीक्षा, बेहतर लोड पूर्वानुमान, विद्युत क्रय लागत का अनुकूलन और नेट मीटरिंग के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण जैसे लाभों के माध्यम से उनकी वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करने में सहायता करती है।

इस प्रकार, स्मार्ट मीटर की संस्थापना से वितरण यूटिलिटी को अपनी हानियों को कम करने में मदद मिलेगी। हानियों में कमी और बेहतर विद्युत क्रय अनुकूलन से विद्युत की लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के कार्यान्वयन से उपभोक्ताओं को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:

क. त्रुटि रहित बिलिंग

ख. छोटे रिचार्ज के साथ रिचार्ज की सुविधा

ग. शून्य बैलेंस पर कनेक्शन कटने से बचने के लिए मीटर में आपातकालीन क्रेडिट

घ. खपत पर नज़र रखना

ङ. बिल में छूट

इस स्कीम के तहत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए आरडीएसएस के तहत 1.31 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है। 28 राज्यों के लिए संस्वीकृत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-III** पर दिया गया है।

(ज) : विद्युत मंत्रालय ने उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 जारी किए हैं। नियम विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों (सीजीआरएफ़) की स्थापना का प्रावधान करते हैं। इस मंच में वितरण लाइसेंसधारी के अधिकारी शामिल होंगे और इसमें उपभोक्ता और प्रोज्यूमर प्रतिनिधियों के रूप में चार से अधिक सदस्य नहीं होंगे। राज्य आयोग एक स्वतंत्र सदस्य को नामित करेगा जो उपभोक्ता मामलों से परिचित हो। वितरण लाइसेंसधारी वह समय निर्दिष्ट करेगा जिसके भीतर मंचों के विभिन्न स्तरों द्वारा विभिन्न प्रकार की शिकायतों का समाधान किया जाना है।

नियम में अपील के निवारण के लिए राज्य आयोग द्वारा लोकपाल की नियुक्ति का भी प्रावधान है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 1602

अनुबंध-I

आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत परियोजनाओं की राज्यवार लागत

राज्य/डिस्कॉम	मीटरिंग की स्वीकृत लागत (पीएमए सहित) (करोड़ रुपये)	पीएमए सहित स्वीकृत एलआर लागत (करोड़ रु.)	स्वीकृत कुल परिव्यय (करोड़ रु.)	मीटरिंग कार्यों के संस्वीकृत जीबीएस (पीएमए सहित) (करोड़ रु.)	अवसंरचना (हानि न्यूनीकरण) कार्यों के संस्वीकृत जीबीएस (पीएमए सहित) (करोड़ रुपये)	पीएमए (इन्फ्रा+मीटरिंग) के साथ प्रोत्साहनों सहित संस्वीकृत जीबीएस (करोड़ रुपये में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	54	462	516	12	416	428
आंध्र प्रदेश	4,128	10,687	14,814	815	6,412	7,227
अरुणाचल प्रदेश	184	1,042	1,226	54	938	992
असम	4,050	3,395	7,444	1,052	3,055	4,107
बिहार	2,021	8,406	10,427	412	5,044	5,456
छत्तीसगढ़	4,105	3,964	8,070	804	2,379	3,183
दिल्ली	13	324	337	2	194	196
गोवा	469	247	716	95	148	243
गुजरात	10,642	6,089	16,731	1,885	3,653	5,538
हरियाणा	0	6,797	6,797	0	4,078	4,078
हिमाचल प्रदेश	1,788	2,327	4,115	466	2,094	2,560
जम्मू और कश्मीर	1,064	4,771	5,835	272	4,294	4,566
झारखंड	858	3,344	4,202	191	2,006	2,197
कर्नाटक	0	34	34	0	21	21
केरल	8,231	3,011	11,243	1,413	1,807	3,220
लद्दाख	0	876	876	0	788	788
मध्य प्रदेश	8,911	9,384	18,295	1,504	5,631	7,134
महाराष्ट्र	15,215	17,209	32,424	2,840	10,326	13,165
मणिपुर	121	615	737	38	554	592
मेघालय	310	1,232	1,542	86	1,109	1,195
मिजोरम	182	319	500	61	287	348
नागालैंड	208	461	668	60	415	474
पुदुचेरी	251	84	335	56	51	107
पंजाब	5,769	3,873	9,642	960	2,324	3,284
राजस्थान	9,715	17,427	27,142	1,686	10,456	12,142
सिक्किम	97	416	514	30	375	405
तमिलनाडु	19,235	9,568	28,803	3,398	5,741	9,139
तेलंगाना	0	120	120	0	72	72
त्रिपुरा	319	598	917	80	538	619
उत्तर प्रदेश	18,956	21,612	40,568	3,501	12,967	16,468
उत्तराखंड	1,106	1,717	2,823	310	1,545	1,855
पश्चिम बंगाल	12,670	7,223	19,893	2,089	4,334	6,423
कुल योग	1,30,671	1,47,635	2,78,306	24,173	94,050	1,18,224

लो.स.अतारां.प्र.सं. 1602
अनुबंध-II

आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत घरेलू विद्युतीकरण
(पीवीटीजी+अतिरिक्त एचएचएस+वीवीपी)

क्रम सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत परिव्यय (करोड़ रु.)	संस्वीकृत जीबीएस (करोड़ रु.)	कुल संस्वीकृत घर (सं.)
क.	**आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत अतिरिक्त घर**			
1	राजस्थान	459.18	275.51	1,90,959
2	मेघालय	435.70	392.13	50,501
3	मिजोरम	79.90	71.91	15,167
4	नागालैंड	69.55	62.59	10,004
5	उत्तर प्रदेश	931.04	558.62	2,51,487
6	आंध्र प्रदेश	49.24	29.55	15,475
7	झारखंड	7.47	4.48	872
8	जम्मू एवं कश्मीर	77.10	69.39	10,730
9	बिहार	300.26	180.16	42,584
10	असम	785.55	706.99	1,27,111
11	अरुणाचल प्रदेश	47.11	42.40	6,506
12	मणिपुर	214.44	193.00	36,972
13	छत्तीसगढ़	316.51	189.90	63,161
	कुल (क)	**3,773.04**	**2,776.64**	**8,21,529**
ख.	**वाइब्रेंट विलेजेज़ में आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत विद्युतीकरण कार्य**			
1	हिमाचल प्रदेश*	6.08	5.47	-
2	अरुणाचल प्रदेश	20.18	18.16	1,683
3	उत्तराखंड	13.08	11.77	1,154
	कुल (ख)	**39.34**	**35.41**	**2,837**
ग.	**पीएम-जनमन के तहत ग्रिड कनेक्टिविटी के माध्यम से पीवीटीजी घरों का विद्युतीकरण**			
ग1	**आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत**			
1	आंध्र प्रदेश	88.71	53.23	25,054
2	बिहार	0.28	0.17	51
3	छत्तीसगढ़	38.17	22.90	7,077
4	झारखंड	74.13	44.47	12,442
5	मध्य प्रदेश	143.39	86.02	29,290
6	महाराष्ट्र	26.61	15.96	8,556
7	राजस्थान	40.34	24.20	17,633
8	कर्नाटक	3.77	2.26	1,615
9	केरल	0.86	0.52	345
10	तमिलनाडु	29.89	17.94	10,673
11	तेलंगाना	6.79	4.07	3,884
12	त्रिपुरा	61.52	55.37	11,664
13	उत्तराखंड	0.60	0.54	669

14	उत्तर प्रदेश	1.10	0.66	316
	उप योग (ग1)	**516.15**	**328.31**	**1,29,269**
घ.	**डीए-जेजीयूए का विद्युतीकरण**			
घ1	**संस्वीकृत घर**			
1	छत्तीसगढ़	11.98	7.19	2,550
2	महाराष्ट्र	2.07	1.24	480
3	त्रिपुरा	40.69	36.62	7,677
4	कर्नाटक	30.53	18.32	3,682
5	अरुणाचल प्रदेश	8.20	7.38	1,938
6	तेलंगाना	110.73	66.44	26,525
	उप योग (घ1)	**204.20**	**137.19**	**42,852**
घ2	**संस्वीकृत सार्वजनिक स्थान**			
1	त्रिपुरा	2.31	2.08	512
2	अरुणाचल प्रदेश	0.04	0.03	9
3	तेलंगाना	2.90	1.74	672
	उप योग (घ 2)	**5.25**	**3.86**	**1,193**
	कुल (घ = घ 1+ घ 2)	**209.45**	**141.05**	**44,045**
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	**4,537.99**	**3,281.39**	**9,97,680**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 1602
अनुबंध-III

आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत स्मार्ट मीटरिंग कार्य

राज्य	उपभोक्ता मीटर (सं.)	डीटी मीटर (सं.)	फीडर मीटर (सं.)	मीटरिंग की संस्वीकृत लागत (पीएमए सहित) (करोड़ रु.)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	83,573	1,148	114	53.56
आंध्र प्रदेश	56,08,846	2,93,140	17,358	4,127.85
अरुणाचल प्रदेश	2,87,446	10,116	688	183.56
असम	63,64,798	77,547	2,782	4,049.54
बिहार	23,50,000	2,50,726	6,427	2,021.21
छत्तीसगढ़	59,62,115	2,10,644	6,720	4,105.31
दिल्ली	-	766	2,755	13.38
गोवा	7,41,160	8,369	827	469.17
गुजरात	1,64,81,871	3,00,487	5,229	10,641.96
हरियाणा	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	28,00,945	39,012	1,951	1,788.49
जम्मू और कश्मीर	14,07,045	88,037	2,608	1,063.62
झारखंड	13,41,306	19,512	1,226	858.02
कर्नाटक	-			-
केरल	1,32,89,361	87,615	6,025	8,231.21
लद्दाख	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	1,29,80,102	4,19,396	29,708	8,910.65
महाराष्ट्र	2,35,64,747	4,10,905	29,214	15,214.95
मणिपुर	1,54,400	11,451	357	121.16
मेघालय	4,60,000	11,419	1,324	309.56
मिजोरम	2,89,383	2,300	398	181.61
नागालैंड	3,17,210	6,276	392	207.57
पुदुचेरी	4,03,767	3,105	180	251.10
पंजाब	87,84,807	1,84,044	12,563	5,768.50
राजस्थान	1,42,74,956	4,34,608	27,128	9,714.80
सिक्किम	1,44,680	3,229	633	97.45
तमिलनाडु	3,00,00,000	4,72,500	18,274	19,235.36
तेलंगाना	-			-
त्रिपुरा	5,47,489	14,908	473	318.55
उत्तर प्रदेश	2,69,79,056	15,26,801	20,874	18,956.29
उत्तराखंड	15,87,870	59,212	2,602	1,106.03
पश्चिम बंगाल	2,07,17,969	3,05,419	11,874	12,670.45
कुल योग	**19,79,24,902**	**52,52,692**	**2,10,704**	**1,30,670.88**

आरडीएसएस के तहत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	**प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम**	**प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या**
1	एएमआई का परिचय और एटीएंडसी हानियों को कम करने में एएमआई की भूमिका	5,000
2	एएमआई सिस्टम डिजाइन और प्रोग्राम प्रबंधन	1,996
3	स्मार्ट मीटरिंग में आईटी/कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी	301
4	एएमआई डेटा एनालिटिक्स और डेटा अनुप्रयोग	165
5	स्काडा, आईटी/ओटी प्रौद्योगिकियां और डीएमएस और ओएमएस प्रणाली	527
6	प्रचालन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन	2,211
7	स्मार्ट मीटरिंग और एटीएंडसी हानि में कमी	399
8	डिस्कॉम्स का तकनीकी-वाणिज्यिक सुधार	173
9	संचार एवं सॉफ्ट स्किल्स	78
10	**कुल**	**10,850**

****